

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर—प्रथम, जयपुर

अपील संख्या: 220/2023

GCMS No.—2022/163

पूर्व दर्ज नंबर 78/22

श्रवण पुत्र छीतर जाति धानका, निवासी ग्राम गांवली, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. नाथूलाल पुत्र लादू जाति धानका, निवासी ग्राम गांवली, तहसील आंधी, जिला जयपुर।
2. श्रीमती सुनीता पुत्री लादू पत्नी श्री मदनलाल जाति धानका निवासी धानको का मोहल्ला, बस स्टैण्ड के पीछे, तूंगा तहसील बस्सी, हाल तहसील तूंगा जिला जयपुर।  
रेस्पाडेन्टस
3. पूरण पुत्र छीतर
4. जगदीश पुत्र छीतर
5. बनवारी पुत्र छीतर
6. रामफूल पुत्र छीतर
7. हरिसिंह पुत्र छीतर
8. राधेश्याम पुत्र छीतर
9. नारायणी पत्नी स्व० श्री छीतर
10. शंकर पुत्र भौरा  
समस्त जाति धानका, निवासी ग्राम गांवली, तहसील आंधी, जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।  
..... प्रारूपिक रेस्पाडेन्टस



अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर दिनांक 21.12.1973 नामान्तरकरण संख्या 56 ग्राम गांवली हाल तहसील आंधी, जिला जयपुर।

उपस्थित:-

1. श्री नरपत सिंह अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री राजेश कुमार पारीक अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ओर से।

निर्णय

दिनांक: 13.10.2025

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार आंधी के निर्णय 21.12.1973 जिससे नामान्तरकरण संख्या 56 वाके ग्राम गांवली, तहसील आंधी भौरा पुत्र ग्यारसा, गोपी पुत्र झूथा के वारिसान के नाम स्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपील दिनांक 12.08.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पारीक उपस्थित आये। रेस्पा० संख्या 2 लगायत 10 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। रेस्पा० संख्या 11 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। पत्रावली पर नामान्तरकरण की प्रमाणित छायाप्रति के आधार पर एवं उभय पक्ष अधिवक्ता की सहमति से प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। वकील अपीलांट एवं अधिवक्ता रेस्पा० संख्या 1 एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)  
जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गांवली तहसील आंधी स्थित साबिक खसरा नंबर 392 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 393 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 395 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा के खातेदार काश्तकार भौरिया पुत्र ग्यारसा व गोपी पुत्र झूथा जाति धानका देह जयसिंहपुरा दर हिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज थे। राजस्व अभिलेखों में अपीलांट के दादा गोपी पुत्र झूथाराम के फौत होने पर रेस्पा0 संख्या 1 व 2 के हक पूर्वाधिकारी लादू पुत्र कालूराम द्वारा अवैध रूप से गोपी पुत्र झूथा की विरासत में अपना नाम अंकित करवा लिया। जिसका फायदा उठाते हुए लादूराम पुत्र स्व0 श्री कालू फौत होने के पश्चात उसकी विरासत का नामान्तरण संख्या 321 उनके वारिसान ने अपने नाम दर्ज करवा लिय जो पूर्णतः अवैध है। लादू पुत्र गोपी ने अपने आपको गोपी का पुत्र बताते हुए राजस्व भू अभिलेखों में अंकन करवा लिया जबकि लादू पुत्र कालू राजकीय सेवा में था और उसके पिता का नाम कालूराम ही दर्ज था, परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के अनुसार मृतक खातेदार के हक पूर्वाधिकारी छीतर पुत्र गोपी के नाम के साथ लादू पुत्र गोपी अंकित करते हुए प्रारूपिक रेस्पाडेन्ट संख्या 10 का हिस्सा 1/2 तथा अपीलांट एवं प्रारूपिक रेस्पाडेन्ट संख्या 3 लगायत 9 के साथ रेस्पा0 संख्या 1 व 2 के पिता ने उक्त भूमि विवादग्रस्त में हिस्सा 1/2 अंकित करवा लिया, जो अवैध है। विवादग्रस्त भूमि में पूर्व में अपीलांट के दादा स्व0 श्री गोपी पुत्र झूथा जाति धानका की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी एवं गोपी के स्वर्गवास हो जाने पर उनके एक पुत्र छीतर प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने के आधार पर विरासत का नामान्तरण तस्दीक किया जाना आवश्यक होने के पश्चात भी तहसीलदार महोदय ने रेस्पा0 संख्या 1 व 2 के पिता लादू पुत्र कालूराम धानका के नाम अपीलाधीन नामान्तरण फरमा दिया गया जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। गोपी पुत्र झूथा के देहान्त होने के पूर्व ही गोपी के एक पुत्र शंकर जो कि उक्त भूमि वादग्रस्त की सहखातेदार कृषक भौरा पुत्र ग्यारसा जाति धानका के गोद चला गया, शेष भूमि छीतर पुत्र गोपी के नाम राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करना आवश्यक था। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा गोपी पुत्र झूथा के उत्तराधिकारियों की जांच किये बिना ही रेस्पा0 संख्या 1 व 2 के पिता लादू पुत्र कालू को गोपी का पुत्र अंकित करते हुए राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करवा लिया जो पूर्णतः विधि विरुद्ध व अवैध है। गोपी पुत्र झूथा के जाईन्दा पुत्र छीतर एवं छीतर के फौत होने के पश्चात अपीलांट एवं प्रारूपिक रेस्पा0 संख्या 3 लगायत 9 विधिक वारिसान है। गोपी पुत्र झूथा की विरासत तय करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार से नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अवहेलना कर



अतिरिक्त  
कलेक्टर  
जयपुर

अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। दिनांक 10.07.2022 को रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा भूमि का बिना कब्जे के अवैध रूप से विक्रय किये जाने के कारण क्रेतागण मौके पर आये और भूमि काशत करने की धमकी दी। जिस पर अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी हुयी। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट अन्द मियाद स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा नामान्तकरण संख्या 56 दिनांक 21.12.1973 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित फरमाया जावे कि मृतक गोपी पुत्र झूथा की विरासत उसके विधिक वारिसान के नाम तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करें।



विद्वान अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अपीलाधीन आराजीयात पर सभी काशतकार अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज काशत है। स्वयं अपीलांट के भाई पूरण ने उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष बंटवारे का वाद पेश कर रखा है। यदि रेस्पा0 संख्या 1 व 2 लादू के वारिस नहीं होते तो अपीलांट के भाई द्वारा बंटवारे का वाद पेश नहीं किया जाता। अपीलांट ने अपने पिता छीतर के फौत होने पर उनके हिस्से का फौती नामान्तकरण स्वयं और अपने भाईयो और अपनी मां के नाम स्वीकार करवाया है तथा जो हिस्सा दर्ज है उसकी जानकारी अपीलांट को प्रारम्भ से रही है। अपीलांट द्वारा बदनीयति से अपील पेश की गयी है। अपीलांट के यदि अपीलाधीन भूमि में कोई हक अधिकार है तो वे सक्षम संस्थान में कार्यवाही करनी चाहिए। 50 वर्षों के मध्य जितने नामान्तकरण स्वीकार हुए है और राजस्व रिकॉर्ड में विरासत के नामान्तकरण के जरिये नाम अंकित हुए वह स्वयं अपीलांट की जानकारी में स्पष्ट रूप से है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने गये है। अपीलांट द्वारा गलत तथ्य पेश कर अपील पेश की गयी है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे। अपीलांट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गयी अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण स्व. भौरा पुत्र ग्यारसा, गोपी पुत्र झूथा के फौत होने पर उनके वारिसान के हक में तस्दीक किया गया है जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अपीलाधीन नामान्तकरण की छायाप्रति अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 56 पटवारी हल्का द्वारा भौरा पुत्र ग्यारसा, गोपी पुत्र झूथा के फौत होने पर उनके वारिसान के हक में भरा गया जिसके आधार पर तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा दिनांक 21.12.1973 को स्वीकार किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलाधीन भूमि

अतिरिक्त कलेक्टर (प्रथम) जयपुर

अपीलांट की पैतृक आराजीयात है जिसके संबंध में अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकार किया गया है। न्यायालय हाजा का श्रवण क्षेत्राधिकार नामान्तरण के बिन्दु पर है एवं न्यायालय हाजा को किसी के हक, अधिकार को तय किये जाने बाबत क्षेत्राधिकार प्रदत्त नहीं है। नामान्तरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बाबत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। यदि अपीलांट के अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में किसी प्रकार हक अधिकार निहित है तो वे सक्षम स्तर पर चाराजोई हेतु स्वतंत्र है। अपीलांट द्वारा सन् 1973 में तस्दीक किये गये नामान्तरण को वर्ष 2022 में चुनौती दी गयी है एवं उक्त नामान्तरण के पश्चातवर्ती नामान्तरण भी तस्दीक किये जा चुके है, अपीलांट द्वारा मियाद के बिन्दु पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्य भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होते है। अपीलांट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया कि अपीलाधीन भूमि में अपना हक अधिकार किस प्रकार निहित रखते है। अपीलाधीन नामान्तरण के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काशतकारो के फौत होने पर उनकी विरासत का नियमानुसार नामान्तरण संख्या 56 तस्दीक किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरण को तस्दीक किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्या त्रुटि की गयी है, अधिवक्ता अपीलांट साबित नहीं कर पाये। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

( विनीता सिंह )  
अति.कलक्टर-प्रथम,  
जयपुर

